न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/10/2026	2026/27	05.02.2026	30.03.2026

1. जमना पुत्र बत्तू जाति कुम्हार,
2. पूनी पुत्री बत्तू जाति कुम्हार,
3. उगन्ता पुत्री बत्तू जाति कुम्हार,
4. मुक्ता पुत्री बत्तू जाति कुम्हार,
5. मनभरी पुत्री बत्तू,
6. कन्ना पुत्री बत्तू,
7. अंगूरी बेवा बत्तू जाति कुम्हार निवासीयान ग्राम बिचगांवा तहसील लक्ष्मनगढ जिला अलवर राज.

— प्रार्थीगण

बनाम

1. खूबीराम नवीरा नत्था पुत्र छाज्या जाति कुम्हार निवासी ग्राम बिचगांवा तहसील लक्ष्मनगढ जिला अलवर राज.।

—अप्रार्थी

2. केशर पुत्री नत्था जाति माली,
3. धन्नू पुत्र स्व० सुगन जाति माली,
4. पप्पू पुत्र स्व० सुगन जाति माली निवासीयान ग्राम बिचगांवा तहसील लक्ष्मनगढ जिला अलवर राज.।
5. तहसीलदार लक्ष्मनगढ, जिला अलवर राज0।

—तर0 अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना—पत्र मुंतकिल ::—

उपस्थितिः—

01— श्री महावीर सैनी —वकील प्रार्थीगण

02—श्री दीपक मीना, राजकीय अभिभाषक —वकील तर0 अप्रार्थी सं. 5

—:निर्णयः—

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना—पत्र मुंतकिल प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लक्ष्मणगढ़ में लंबित/विचाराधीन प्रकरण बउनवान खूबीराम बनाम बत्तू वगैरह प्रकरण सं. 01/114/2013 को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लक्ष्मणगढ़ से बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई।

विद्वान वकील प्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस अपने समर्थन में मुन्तकिल प्रार्थना—पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी/अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर) लक्ष्मनगढ जिला अलवर के समक्ष एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधि ानियम बअनुवानी खूबीराम बनाम बत्तू वगैरा बाबत आराजी खसरा नम्बर 1009 रकबा 4 बीघा 3. बिस्वा, 755 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 746 रकबा 15 बिस्वा वाके ग्राम बिचगांवा पेश किया गया है, जिसमें तहत अदालत द्वारा गलत तथ्य से दिनांक 06—08—2024 को निर्णय कर डिक्री पारित की जाकर तहसीलदार को कुरेजरात रिपोर्ट तलब करने का आदेश दिया गया है। उक्त प्रकरण में आगामी तारीख पेशी 29/01/2026 की नियत है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

वादी/अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त वाद कतई गलत व झूठे तथ्यो से पेश किया गया। उक्त वादी अप्रार्थी संख्या 1 प्रभावशाली व्यक्ति है जिन्होने पीठासीन अधिकारी को अपने प्रभाव में लेकर गलत तौर से प्रारम्भिक डिक्री पारित करा ली हे। तथा पीठासीन अधिकारी वादी अप्रार्थी संख्या 1 से साजबाज होकर निष्पक्ष कार्यवाही नही कर रहे है।

उक्त वाद में पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा पूर्व में जल्दी जल्दी की तारीख पेशी नियत कर रहे है तथा गलत तौर से डिक्री पारित करने के कारण तहसीलदार अप्रार्थी संख्या 1 के प्रभाव मे आकर गलत कुरेजात रिपोर्ट बिना मिन प्रार्थी को सूचना दिये खिलाफ मौका व कब्जा तैयार कर अधिननस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई है जिस पर मिन प्रार्थीगण द्वारा एतराजात पेश किया गया हे लेकिन उस पर बिना सुनवाई कर अंतिम डिक्री पारित करने पर आमादा है। विवादित आराजी में मिन प्रार्थी के मकानात बने हुए है और निर्माण कार्य हो रहा है। चूंकि आराजी मुतनाजा का अरसे दराज पूर्व ही बटवारा हो गय था तथा उक्त निर्णय व डिक्री की आड में अप्रार्थी संख्या 1 ने एलानिया तोर पर धमकी दी है कि पीठासीन अधिकारी उनके मिलने वाले तथा हमने उनसे बातचीत कर डिक्री पारित करा ली है और शीघ्र ही वो वाद स्वीकार करके रहेगें प्रार्थी के मकान को धवस्त कराकर रहेगा और उस पर कब्जा करके रहेगा।

पीठासीन अधिकारी महोदय अप्रार्थी सं. 1 के दवाब व प्रभाव में आकर जल्दी जल्दी की तारीख पेशी नियत कर रह है तथा ऑर्डरशीट से स्पष्ट है कि प्रकरण में गत तारीख पेशी दिनांक 01–12–2025 की नियत थी तथा दिनांक 01–12–2025 से आगामी तारीख पेशी दिनांक 12–12–2025 व उसके पश्चात 23–12–2025 एवं उसके पश्चात 31–12–2025 एवे 31–12–2025 से 09–01–2026 एवं दिनांक 09–01–2026 से दिनांक 29–01–2026 नियत की गई है। पीठासीन अधिकारी ने अपनी राय स्पष्ट कर दी है कि उन पर वादी अप्रार्थी संख्या 1 का दवाब है। जिससे प्रार्थी को यह अंदेशा हो गया है कि पीठासीन अधिकारी महोदय उसके विरूद्व निर्णय पारित करेगें कि जिस स्थति में यह मुन्तकिली प्रार्थना–पत्र पेश किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर) लक्ष्मनगढ जिला अलवर में विचाराधीन मुकदमा बअनुवान खूबीराम बनाम बत्तू वगैरा मुकदमा नम्बर 01/114/2013 राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आगामी तारीख पेशी दिनांक 29/01/2026 को किसी दीगर अदालत में मुन्तकिल किये जाने जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लक्ष्मणगढ़, अलवर द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मुन्तकिल के संबंध में बिन्दुवार टिप्पणी प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि 1. इस न्यायालय में खूबीराम बनाम बत्तू का दावा संख्या 1/199 रजू दि0 31.12.2025 अन्तर्गत धारा 53,188 आर टी एक्ट के तहत विचाराधीन है तथा प्रकरण में दिनांक 06.08.2024 को प्रारम्भिक डिकी पारित की गई है। तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ से कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जिस पर प्रतिवादी जमना प्रसाद द्वारा ऐजराज प्रा० पत्र पेश किया है तथा पत्रावली बहस ऐजरात प्रार्थना पत्र में नियत है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 06.04.2026 नियत है। बिन्दु संख्या 02 व 3 स्वीकार नहीं है, प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोप असत्य व मनगढन्त हैं। 4. अस्वीकार है। प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे। 5. अस्वीकार है। प्रकरण में विधिक कार्यवाही की जा रही है। 6. विन्दु संख्या 06 असत्य है, अस्वीकार है प्रार्थी द्वारा मनगढन्त आरोप लगाये गये हैं। विन्दु संख्या 07 प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। बिंदु संख्या 08 प्रार्थी स्वयं साबित करे। प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दु मनगढन्त व बेबुनियाद है। यदि इस प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थीगण/वकील प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के रजिस्टर्ड तलबाना प्रस्तुत करने हेतु अनेकों अवसर सहित अंतिम अवसर भी प्रदान किए जा चुके हैं, के बावजूद प्रार्थीगण/वकील प्रार्थीगण द्वारा रजि0 तलबाना पेश नहीं किये गये हैं। अतः अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड तलबाना पेश नहीं करने के फलस्वरूप प्रार्थीगण/वकील प्रार्थीगण के अवसर बन्द करते हुए पत्रावली में आगामी कार्यवाही की जा रही है।

पत्रावली का भली-भांति अवलोकन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की टिप्पणी पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में मुंतकिल प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर दिया, परन्तु अप्रार्थीगण को न्यायालय में तलब करने हेतु आवश्यक रजिस्टर्ड तलबाना प्रस्तुत नहीं किया। न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को इसके लिए अनेकों अवसर और अंतिम अवसर भी प्रदान किया गया था। यह आचरण स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि प्रार्थीगण का मुख्य उद्देश्य प्रकरण की मूल सुनवाई में विलंब करना और न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करना है, न कि न्याय की प्राप्ति। इसी कारण इस न्यायालय द्वारा पूर्व में ही तलबाना पेश नहीं करने पर प्रार्थीगण के अवसर बंद किए जा चुके हैं।

प्रार्थीगण का यह मुख्य तर्क है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा जल्दी-जल्दी पेशियां दी जा रही हैं। विधिक रूप से, किसी भी न्यायालय द्वारा प्रकरण के त्वरित निस्तारण हेतु छोटी तिथियां नियत करना न्यायालय की दक्षता और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, न कि किसी पक्षपात को। केवल जल्दी पेशियां देने के आधार पर पीठासीन अधिकारी पर विरोधी पक्ष के प्रभाव में होने का आरोप लगाना सर्वथा अनुचित और अमान्य है।

अधीनस्थ न्यायालय की टिप्पणी के अनुसार, प्रकरण में दिनांक 06.08.2024 को प्रारम्भिक डिक्री पारित हो चुकी है और तहसीलदार से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। स्वयं प्रार्थी जमना प्रसाद द्वारा उस रिपोर्ट पर एतराज पेश किया जा चुका है। वर्तमान में पत्रावली उसी एतराज प्रार्थना-पत्र पर बहस हेतु दिनांक 06.04.2026 के लिए नियत है। अतः प्रार्थीगण को अपना पक्ष रखने और एतराज पर बहस करने का पूर्ण अवसर प्राप्त है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मुंतकिल प्रार्थना-पत्र पूर्णतः निराधार, मनगढ़ंत और केवल मूल प्रकरण को विलंबित करने की नीयत से पेश किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व आदेशिकाओं से यह प्रमाणित होता है कि प्रार्थीगण द्वारा इन्हीं तथ्यों और आधारों पर पूर्व में भी एक मुंतकिल प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उस प्रार्थना-पत्र को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 15.09.2025 को गुण-दोष के आधार पर खारिज कर निस्तारित किया जा चुका है। एक ही मामले में, उन्हीं आधारों पर बार-बार मुंतकिल प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना न्यायिक प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है। पत्रावली से यह भी विदित होता है कि दिनांक 23.12.2025 को प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ के न्यायालय से सहायक कलक्टर, लक्ष्मणगढ़ के न्यायालय में मात्र क्षेत्राधिकार के कारण स्थानान्तरित हुआ था। वर्तमान में यह प्रकरण सहायक कलक्टर लक्ष्मणगढ़ के यहाँ विचाराधीन है। ऐसे में पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध प्रार्थीगण द्वारा लगाए गए मिलीभगत और पक्षपात के आरोप पूर्णतया आधारहीन, कपोल कल्पित एवं दुर्भावनापूर्ण प्रतीत होते हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मुंतकिल प्रार्थना-पत्र में कोई सार प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय की निष्पक्षता पर संदेह का कोई ठोस आधार प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं। पीठासीन अधिकारी पर लगाए गए आरोप तथ्यों से परे हैं। ऐसे आवेदन का उद्देश्य मुकदमे की कार्यवाही में विलम्ब करना प्रतीत होता है। प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुंतकिल प्रार्थना-पत्र के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति के शपथ-पत्र पेश नहीं किये गये हैं और ना ही प्रार्थना-पत्र के

...ी कलक्टर
अलवर (राज0)

संबंध में कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये हैं। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल बिना पर्याप्त कारण, तथ्य व सबूत/साक्ष्य के अभाव में सारहीन होने से खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, लक्ष्मणगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण में बिना किसी दवाब या पूर्वाग्रह के, गुण–दोष के आधार पर विधि सम्मत कार्यवाही जारी रखें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, लक्ष्मणगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलेक्टर, अलवर
राजस्थान

न्यायालय जिला कलक्टर
अलवर (राज०)